संख्या : 13/2026/बी-1-1357/दस-2026

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,

विशेष सचिव, वित्त,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग ।

(2)समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

(3) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक 03 जून, 2026

विषय:- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के अन्तर्गत आने वाले सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा अनुदानित विश्वविद्यालयों के आहरण एवं वितरण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या बी-1-4731/दस-53/98, दिनाँक 17 अक्टूबर,1998 तथा शासनादेश संख्या बी-1-5697/दस-53/98, दिनाँक 07 दिसम्बर, 1998 द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा अनुदानित विश्वविद्यालयों के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक को क्रमशः डी.डी.ओ कोड संख्या-4566,4567 तथा 4570 आवंटित की गयी है।

2- उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि स्वायत्तशासी संस्थाओं/परिषदों/निगमों को शासन द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकार नहीं दिया जाता है वरन् उक्त संस्थाओं को अनुदान/अंशपूंजी/ऋण आदि के रूप में स्वीकृत धनराशि का आहरण,वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-209 व 209-ए के अनुसार, धनराशि की स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश में प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने पर कोषागार द्वारा बिल पारित किया जाता है। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या बी-1-716/दस-2012-एम-53/98, दिनाँक 09 अप्रैल, 2012 (प्रतिसंलग्न) के माध्यम से शासन द्वारा राज्य की स्वायत्तशासी संस्थाओं/परिषदों/निगमों को स्वीकृत धनराशि के देयकों के आहरण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

कृ.पृ.उ.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सन्दर्भ में प्रशासकीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में हुए सम्यक विचारोपरान्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के अन्तर्गत आने वाले सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा अनुदानित विश्वविद्यालयों के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या बी-1-4731/दस-53/98, दिनाँक 17 अक्टूबर,1998 तथा शासनादेश संख्या बी-1-5697/दस-53/98, दिनाँक 07 दिसम्बर,1998 द्वारा आवंटित डी.डी.ओ कोड संख्या-4566,4567 तथा 4570 निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या बी-1-716/दस-2012-एम-53/98, दिनाँक 09 अप्रैल, 2012 में दी गयी व्यवस्थानुसार, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के अन्तर्गत आने वाले सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा अनुदानित विश्वविद्यालयों को शासन द्वारा अनुदान के रूप में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु सम्बन्धित कोषागार द्वारा सेल्फ डी.डी.ओज की भाँति कोषागार स्तर पर संस्था के नाम कोड संख्या 6000 से 7999 के मध्य चार अंको का एक कोड आवंटित कर संस्था को लिखित रूप से कोषागार द्वारा सूचित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु संस्था द्वारा कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयक पर कोषागार द्वारा आवंटित चार अंको का कोड, देयक के क्रमांक-12 पर डी.डी.ओ कोड के स्थान पर अंकित किये जाने तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा देयक को प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने पर कोषागार द्वारा संस्था को स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

प्रदेश के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों/सम्बन्धित कोषागारों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों तथा अनुदानित विश्वविद्यालयोंद्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः- यथोपरि

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या-13/2026/बी-1-1357/दस-2026,तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या–बी–1–718/दस–2012–एम–53/2011

प्रेषक,

डा. बी.एम. जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 09 अप्रैल, 2012

विषयः– शासन द्वारा राज्य की स्वायत्तशासी संस्थाओं/परिषदों/निगमो को स्वीकृत धनराशि के देयकों के आहरण के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

विभिन्न विभागों द्वारा राज्य की स्वायत्तशासी संस्थाओं/परिषदों/निगमों आदि को अनुदान/अंशपूंजी/ऋण आदि के रूप में स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित किये जाने के प्रस्ताव वित्त विभाग को सन्दर्भित किये जाते हैं तथा कई प्रकरणों में शासन द्वारा अनुदानित संस्थाओं के देयकों को कोषागार से आहरित करते समय प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा देयकों पर उन्हें आबंटित डी.डी.ओ. कोड संख्या अंकित की जाती है जिससे संस्था के पक्ष में आहरित किये जाने वाले बिल की धनराशि भी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी के नाम लेखों में पुस्तांकित हो जाती है जिससे नियंत्रक अधिकारी को लेखा मिलान में कठिनाई होती है।

2– स्वायत्तशासी संस्थाओं/परिषदों/निगमो को शासन द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकार नहीं दिया जाता है वरन् उक्त संस्थाओं को अनुदान/अंशपूंजी/ऋण आदि के रूप में स्वीकृत धनराशि का आहरण, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–209 व 209–ए के अनुसार, धनराशि की स्वीकृति संबंधी शासनादेश में प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्वीकृति जारी करने वाले अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने पर कोषागार द्वारा बिल पारित किया जाता है।

3– अतः उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य की स्वायत्तशासी संस्थाओं/परिषदों/निगमों आदि को, शासन द्वारा अनुदान/अंशपूंजी/ऋण आदि के रूप में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु संबंधित कोषागार द्वारा सेल्फ डी.डी.ओज की भॉति कोषागार स्तर पर संस्था के नाम कोड संख्या 6000 से 7999 के मध्य चार अंकों का एक कोड आवंटित कर संस्था को लिखित रूप से कोषागार द्वारा सूचित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु संस्था द्वारा कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले देयक पर कोषागार द्वारा आवण्टित चार अंको का कोड देयक के क्रमॉक–12 पर डी.डी.ओ. कोड के स्थान पर अंकित किये जाने तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये जाने पर कोषागार द्वारा संस्था को स्वीकृत धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

4– कृपया सम्बन्धित विभागों/कार्यालयों तथा कोषागारों एवं संस्थाओं द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(बी.एम. जोशी)
सचिव।

Scanned with CamScanner

संख्या नी–1–710(1)/दस–2012–एम–53/2011, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव।

DDO code179

Scanned with CamScanner